न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 338/2025 (GCMS: **2025/447**)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री चंचल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा उम्र 35 साल जाति कुम्हार, निवासी गली नं 6, रामदेव मंदिर के पास, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर, मोबाईल नम्बर – 70621–11394

01.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 14.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ सेतिया कॉलोनी, बसंती चौक के पास, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री चंचल वर्मा उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 18 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप पायी गयी, जिसे श्री चंचल वर्मा ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर चंचल वर्मा द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। चचंल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मौके पर जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी तथा 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी चंचल वर्मा को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी को विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 14.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी चंचल वर्मा की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी तथ 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 14.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु सेतिया कॉलानी, बसंती चौक के पास, श्रीगंगानगर पर पहुंचे तो मौके पर श्री चंचल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जाचं की गई। मौके पर 18 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप दुकान में पायी गयी, जिसे अप्रार्थी चंचल वर्मा ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल का बेचान सेतिया फार्म, बसंती चौक, श्रीगंगानगर में स्थित दुकान में करता है। मौके पर चंचल वर्मा पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए 18 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप को जब्त किया गया। चंचल वर्मा ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है अतः जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 338 / 2025
सरकार बनाम चंचल वर्मा
(GCMS No. 2025/447)

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी को जारी नोटिस उसे विधिवत् तामील होने के पश्चात भी वह उपस्थित नहीं हुआ है। इससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी प्रकरण में कोई तथ्य या पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

इस प्रकार अप्रार्थी चंचल वर्मा के कब्जे से उसकी दुकान में 18 लीटर पेट्रोल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी चंचल वर्मा के पास पेट्रोल के भण्डारण / बेचान करने का का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल / पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।** इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त **18 लीटर पेट्रोल पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 18 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 18 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करव[illegible] जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश [illegible] जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested